

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 439]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 — आषाढ़ 25, शक 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-18/नौ/55-तीन. — राज्य शासन एतद्वारा प्रदेश के आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-

(1) ये नियम “छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019” कहलाएंगे।

(2) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदान प्राप्त निजी आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश इन नियमों के आधार पर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण :- शासकीय अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय से तात्पर्य ऐसे निजी महाविद्यालय से है, जिसने धनराशि, भवन, भूमि, अस्पताल अथवा अन्य किसी रूप में राज्य/केन्द्र शासन से कोई भी सहायता प्राप्त की हो।

(3) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो :-

(क) ‘आयुष’ से अभिप्रेत है, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी।

(ख) ‘श्रेणी’ से अभिप्रेत है, इन चारों श्रेणियों में से कोई एक, अर्थात् ‘अनुसूचित जाति’, ‘अनुसूचित जनजाति’, ‘अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)’ तथा ‘अनारक्षित’।

(ग) ‘संवर्ग’ से अभिप्रेत है, इन चारों संवर्गों में से कोई एक अर्थात् ‘सैनिक’, ‘स्वतंत्रता संग्राम सेनानी’, ‘दिव्यांग’ तथा ‘महिला’।

(घ) ‘महाविद्यालय’ से अभिप्रेत है, ‘छत्तीसगढ़ में स्थित आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी महाविद्यालय’।

(ङ) ‘प्रवेश परीक्षा’ से अभिप्रेत है, कि केन्द्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.)।

- (च) 'संचालक' से अभिप्रेत है, 'संचालक, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़' ।
- (छ) 'दिव्यांग' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो "निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016" के अनुसार दिव्यांग की श्रेणी में आता हो, परन्तु आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अयोग्य नहीं माना गया हो ।
- (ज) 'स्थानीय निवासी' से अभिप्रेत है, ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो तथा राज्य शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र का धारक हो ।
- (झ) 'अल्पसंख्यक संस्था' से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा राज्य में संचालित तथा ऐसी शर्तों के अधीन मान्यता प्रदत्त अथवा अधिसूचित हो जो राज्य शासन द्वारा निर्धारित हो ।
- (ञ) 'बिना संवर्ग' से अभिप्रेत है, जो किसी भी संवर्ग के अन्तर्गत न हो ।
- (ट) 'गैर स्थानीय निवासी' से अभिप्रेत है, ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रान्त का स्थानीय निवासी हो तथा संबंधित शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का धारक हो ।
- (ठ) 'राज्य शासन' से अभिप्रेत है, 'छत्तीसगढ़ शासन' ।
- (ड) "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्" से अभिप्रेत है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का सं० 48) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय परिषद् ।
- (ढ) "केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्" से अभिप्रेत है, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का सं. 59) की धारा 3 के अधीन गठित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् ।
- (ण) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ ।

3. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

(क) निवासी संबंधी अर्हताएँ :- केवल वही अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अर्ह होगा, जो,

(1) भारत का नागरिक हो ।

(2) छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी अथवा गैर स्थानीय निवासी हो ।

(ख) शैक्षणिक अर्हताएँ :- विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं निम्नानुसार होगी :-

01. बी.ए.एम.एस./ बी.एच.एम.एस./ बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्यता निम्न प्रकार होगी :-

अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से माध्यमिक (10+2) एवं उसके समकक्ष परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी विषयों सहित तथा बायोलॉजी (प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) रसायन शास्त्र एवं भौतिक शास्त्र इन तीनों विषयों में सम्मिलित (Aggregate) रूप से सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ, सामान्य श्रेणी के दिव्यांग संवर्ग के अभ्यर्थी न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तथा इन्हीं श्रेणियों के दिव्यांग अभ्यर्थी न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।

02. बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्यता निम्न प्रकार होगी :-

अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से माध्यमिक (10+2) एवं उसके समकक्ष परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी विषयों सहित तथा बायोलॉजी (प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) रसायन शास्त्र एवं भौतिक शास्त्र इन तीनों विषयों में सम्मिलित (Aggregate) रूप से सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ, सामान्य श्रेणी के दिव्यांग संवर्ग के अभ्यर्थी न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तथा इन्हीं श्रेणियों के दिव्यांग अभ्यर्थी न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।

उक्त अर्हता के साथ अभ्यर्थी को एक विषय के रूप में उर्दू या अरबी या फारसी भाषा सहित 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अथवा विश्वविद्यालय या बोर्ड या पंजीकृत सोसायटी, जो भारत सरकार द्वारा ऐसी परीक्षा का आयोजन कराने हेतु प्राधिकृत हो, के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में 10वीं कक्षा की समकक्ष उर्दू की परीक्षा (जहाँ कहीं ऐसी परीक्षा आयोजित कराने का प्रावधान है) उत्तीर्ण हो।

(3) आयु सीमा :- केवल वे ही अभ्यर्थी आयुष महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परन्तु 25 वर्ष से अधिक आयु न हो।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

स्पष्टीकरण :- आयु प्रमाणित करने के लिए हाई स्कूल/ हायर सेकण्डरी(10+2) सर्टिफिकेट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र अथवा अंकसूची में अंकित जन्मतिथि को ही सही माना जायेगा।

(4) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस. एवं बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.) में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत (Percentile) अंको के साथ, सामान्य श्रेणी के दिव्यांग संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत (Percentile) अंक के साथ, तथा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तथा इन्हीं श्रेणियों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत (Percentile) अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक/ परसेंटाईल में समय-समय पर किये गये परिवर्तन मान्य होंगे।

स्पष्टीकरण :- राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी.) प्राग् तिब अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होगी। प्राग् तिब अभ्यर्थियों के लिए बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।

4 सीटों का निर्धारण एवं आरक्षण :-

(1) सीटों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

(क) शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों की सभी सीटें प्रवेश परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों/ गैर स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से भरी जावेगी।

राज्य के सभी शासकीय व निजी महाविद्यालयों की कुल सीटों में से 15 प्रतिशत सीट अखिल भारतीय कोटा के तहत एवं शेष 85 प्रतिशत प्रदेश के अभ्यर्थियों से भरी जावेगी।

नोट:- केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी छात्रों हेतु आयुष महाविद्यालयों में निर्धारित सीट अखिल भारतीय कोटा के अतिरिक्त होगी।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों के राज्य कोटे की सभी सीटों पर नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य का आरक्षण नियम लागू होगा।

(ग) यूनानी महाविद्यालयों हेतु स्वीकृत प्रवेश क्षमता की कुल संख्या में से दस प्रतिशत सीटें प्रति वर्ष मुख्य पाठ्यक्रम में पार्श्विक प्रवेश हेतु प्राग्-तिब पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होंगी। पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रिक्त सीटें प्रवेश परीक्षा की प्रावीण्य सूची के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए सीटों का आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी प्रचलित /

नवीनतम अधिसूचना के अनुसार किया जावेगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** मान्य होगा।

(3) प्रवेश परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली सीटों की सभी श्रेणियों में **सैनिक संवर्ग** के लिए 03 प्रतिशत, **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग** हेतु 03 प्रतिशत, **दिव्यांग संवर्ग** हेतु 05 प्रतिशत एवं **महिला संवर्ग** हेतु 30 प्रतिशत श्रेणीवार क्षैतिज आरक्षण होगा।

स्पष्टीकरण-(1) सैनिक संवर्ग में आरक्षण का लाभ सैनिकों के पुत्र/ पुत्री को ही मिलेगा।

स्पष्टीकरण-(2) सैनिक संवर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से दिव्यांग हो गए हों, के लिए सीटें आरक्षित हैं। इस संवर्ग के अन्तर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले अभ्यर्थियों को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह छत्तीसगढ़ में विस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/ पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/ पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र अपने पिता/माता के छत्तीसगढ़ में विस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव, जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह छत्तीसगढ़ के अथवा बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/ पुत्री है जो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है। ऐसे अभ्यर्थियों को अपने माता पिता के छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह परीक्षा के वर्ष की 01 जनवरी को अथवा उसके पूर्व की तिथि में छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र / पुत्री है।

टिप्पणी :- सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

स्पष्टीकरण-(3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग में आरक्षण का लाभ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/ पुत्री, पौत्र/ पौत्री (पुत्र की संतान) एवं नाती /नातिन (पुत्री की संतान) को ही मिलेगा।

स्पष्टीकरण-(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिनका नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के कलेक्टोरेट में रखी गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत है।

इस संवर्ग में उन्हीं अभ्यर्थियों को पात्रता होगी जो स्थानीय निवास के संबंध में नियम 2 के खण्ड (ज) में उल्लेखित अर्हताएं पूर्ण करते हैं ।

अथवा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है जिनका नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) के कलेक्टर के में रखी गयी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत है, परन्तु इस संवर्ग के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक, उसकी पत्नि/ पति एवं उनके पुत्र/ पुत्री को ही दिया जावेगा, जिनके पिता/ माता अथवा दादा/ दादी अथवा नाना/नानी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में पंजीकृत है ।

स्पष्टीकरण-(5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । केवल कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही अभ्यर्थी का इस संवर्ग में होने संबंधी एकमात्र वैध एवं मान्य प्रमाण पत्र होगा ।

स्पष्टीकरण- (6) शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के प्रवेश की उपयुक्तता का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

सबसे पहले 50 से 70 प्रतिशत तक एक हाथ/ एक पैर (OA/ OL) अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जावेगा। ऐसे अभ्यर्थियों की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में 40 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम एक हाथ/ एक पैर (OA/ OL) अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

नोट :- (i) निम्नलिखित अशक्तताएं (दिव्यांगताएँ) के अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे :-

1. दोनों हाथों की दिव्यांगता
2. दोनो पैरों की दिव्यांगता
3. दृष्टिबाधित दिव्यांगता
4. बधिरिय दिव्यांगता
5. एक हाथ/ एक पैर (OA/ OL) की 40 प्रतिशत से कम एवं 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता।
6. निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 में सम्मिलित अन्य दिव्यांगताएँ।

(ii) काउंसिलिंग के समय छः (6) माह से अधिक पुराना दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(iii) दिव्यांग संवर्ग में प्रवेश का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

- (4) सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग एवं महिला संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित सूची में सीटें समाप्त होने के पश्चात् उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों को उनकी स्वयं की श्रेणी में मेरिट आधार पर बिना संवर्ग के उचित क्रमांक पर रखा जायेगा।
- (5) किसी भी श्रेणी का अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/दिव्यांग/सैनिक संवर्ग में से किसी एक संवर्ग पर ही आरक्षण का दावा कर सकेगा। इसके लिए उसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (6) रिक्त सीटों पर प्रवेश :-

(क) किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग एवं महिला संवर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को उसी श्रेणी के "बिना संवर्ग" में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

(ख) किसी भी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को निम्नानुसार अन्य श्रेणियों में परिवर्तित कर दिया जायेगा :-

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये आरक्षित पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण रिक्त रह गयी सीट अनुसूचित जाति के पात्र उम्मीदवारों से भरी जायेगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित रिक्त रह गयी सीट अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों से भरी जायेगी। इन दोनों श्रेणियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण रिक्त रह गये सीटों को अन्य पात्र उम्मीदवारों से भरा जावेगा।

5. चयन प्रक्रिया :- (1) आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर की जावेगी।

(2) अखिल भारतीय कोटा के तहत सीटों के लिए सभी आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरण/ संस्था द्वारा काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी, तथा राज्य कोटे की सीटों के लिए सभी आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संचालक द्वारा काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी।

अखिल भारतीय कोटा की सीटों में प्रवेश हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित संस्था द्वारा आयोजित काउंसिलिंग के अंतिम तिथि के बाद रिक्त रह गयी सीटों को केन्द्र सरकार द्वारा सूचित किये जाने पश्चात् राज्य कोटा की सीट में परिवर्तित कर नियमानुसार प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

6. परीक्षार्य :- आयुष स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के संबंध में सूचना, समाचार पत्र/ वेबसाइट/ अन्य संचार माध्यमों से जानकारी प्रदाय की जा सकेगी।

7. प्रदेश के आयुष पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन एवं प्रावीण्यता सूची :-

केन्द्र सरकार से अधिकृत संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अर्ह अभ्यर्थियों से प्रदेश के आयुष पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आवेदन प्राप्त किया जावेगा :-

- (क) राज्य शासन से अधिकृत संस्था द्वारा प्रदेश के आयुष महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑन-लाईन आवेदन लिया जायेगा। इस हेतु संचालक द्वारा विज्ञप्ति जारी की जावेगी।
- (ख) प्रवेश परीक्षा के आवेदन में प्रविष्ट की गई प्रविष्टियों या अन्य कोई भी जानकारी जो कि यथावत राज्य ऑन-लाईन आवेदन में उपयोग की जाती है जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम इत्यादि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा राज्य ऑनलाईन आवेदन की प्रविष्टियाँ अंतिम तिथि उपरान्त परिवर्तनीय नहीं होगा।
- (ग) ऑन-लाईन आवेदन के साथ ही निर्धारित आवेदन शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क की राशि अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रूपये 500/- (रु. पाँच सौ मात्र) तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रूपये 300/- (रु. तीन सौ मात्र) देय होगा।
- (घ) प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किये गये परसेन्ट्रैल के आधार पर स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों की श्रेणी एवं संवर्गवार तथा गैर स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता सूची अधिकृत संस्था द्वारा तैयार की जावेगी।

8. काउंसिलिंग :-

- (1) शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों के राज्य कोटे की सभी सीटों पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही संचालक द्वारा की जावेगी।
- (2) संचालक द्वारा श्रेणीवार उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर सामान्यतः 1:3 के अनुपात में सफल अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में उनके स्वयं के व्यय पर उपस्थित होने हेतु बुलेटिन/ वेबसाईट/ समाचार पत्रों/ अन्य संचार माध्यमों से जानकारी सूचित किया जायेगा। इस हेतु उन्हें पृथक् से बुलावा पत्र नहीं भेजा जावेगा।
- (3) संचालक द्वारा विभिन्न श्रेणी एवं संवर्गों हेतु पंजीयन के लिए निर्धारित समय में अभ्यर्थी के उपस्थित न होने पर, वे उस तिथि को पंजीयन का अवसर खो देंगे। भविष्य में सीटों की उपलब्धता की दशा में आयोजित होने वाली काउंसिलिंग में जिस तिथि को वे उपस्थित होंगे, पंजीयन उपरान्त काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे।

- (4) अभ्यर्थी को निर्धारित समय एवं दिनांक में आयोजित काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए निम्न दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा :-
01. प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र।
 02. प्रवेश परीक्षा की अंक सूची।
 03. दसवीं की मूल अंकसूची।
 04. बारहवीं की मूल अंकसूची।
 05. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
 06. स्थायी जाति प्रमाण पत्र (नियम 4 (2) के अनुसार)।
 07. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र सहित विगत तीन वर्षों का आय प्रमाण पत्र (जो कि शासकीय/ केन्द्र शासन के कार्यालय का फार्म-16 अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो)।
 08. छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (नियम 4 (3) के अनुसार)।
 09. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र। (नियम 4 (3) के अनुसार)
 10. सैनिक संवर्ग हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का प्रमाण पत्र। (नियम 4 (3) के अनुसार)
- (5) उम्मीदवार के अध्ययन में यदि व्यवधान हो तो तत्संबंधी कारण बताते हुए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (गैप सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह भी स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि उक्त अवधि में अभ्यर्थी किन्हीं गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहा है।
- (6) अभ्यर्थी जिस संस्था में अंतिम रूप से अध्ययनरत था उस संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जिसमें यह उल्लेख भी हो कि उम्मीदवार उक्त संस्था में कब से कब तक अध्ययनरत रहा, प्रस्तुत करना होगा।
- (7) काउंसिलिंग समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर प्रावीण्यता के आधार पर सीटों का आबंटन किया जाएगा ।
- (8) काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना होगा । स्वयं उपस्थित न होने की स्थिति में उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि काउंसिलिंग हेतु उपस्थित हो सकेंगे।
- (9) काउंसिलिंग समिति में संचालक आयुष या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय का एक प्राचार्य एवं कम से कम एक प्राध्यापक, और आदिमजाति कल्याण विभाग का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे । अभ्यर्थी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को उक्त समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा ।
- (10) चयनित अभ्यर्थियों को उपलब्ध महाविद्यालय, पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीटों की सूचना काउंसिलिंग के समय दी जायेगी । उसे मात्र एक महाविद्यालय, एक पाठ्यक्रम एवं एक सीट का चयन

करने का अधिकार होगा और उसे उसके द्वारा चयनित महाविद्यालय, पाठ्यक्रम एवं सीट पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

(11) काउंसिलिंग निम्न क्रम से की जायेगी :-

(क) अनारक्षित श्रेणी

(ख) अनुसूचित जनजाति

(ग) अनुसूचित जाति

(घ) अन्य पिछड़ा वर्ग

(12) किसी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को, जिसका नाम अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्यता सूची में भी हो, उसे अनारक्षित श्रेणी की काउंसिलिंग के समय सीट का चयन नहीं करने की स्थिति में आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी की काउंसिलिंग के समय उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय की सीटों में से सीट का चयन करना होगा, परन्तु अनारक्षित श्रेणी की सीट का चयन करने की स्थिति में उसे आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत सीट चयन करने की पात्रता नहीं होगी। अनारक्षित श्रेणी की काउंसिलिंग के समय उपस्थित नहीं होने पर इस प्रकार का घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(13) काउंसिलिंग के दौरान आयुष महाविद्यालयों की उन्हीं सीटों का आबंटन किया जावेगा, जिन्हें भारत सरकार/ राज्य शासन से इस वर्ष के लिए अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/ निरंतरता प्राप्त हो चुकी है।

(14) काउंसिलिंग के विवादित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु संचालक अथवा संचालक द्वारा गठित समिति का निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होगा।

(15) (क) काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी/ अधिकृत प्रतिनिधि को समस्त मूल प्रमाण पत्र काउंसिलिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। मूल प्रमाण पत्रों के अभाव में वह काउंसिलिंग में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका मूल प्रमाण पत्र/ अभिलेख किसी शैक्षणिक संस्था में जमा है तो उस संस्था प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) अभ्यर्थी को प्रवेश की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए काउंसिलिंग के समय प्रथम व्यावसायिक हेतु निर्धारित शुल्क की पचास प्रतिशत राशि संबंधित महाविद्यालय के काउन्टर में भुगतान कर प्रावधिक (Provisional) प्रवेश लेना होगा।

- (ग) प्रावधिक प्रवेश उपरांत अभ्यर्थी को संचालक आयुष या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित की गई तिथि तक संबंधित महाविद्यालय में शेष शुल्क की राशि जमा कर प्रवेश लेना होगा। निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश स्वयमेव निरस्त हो जायेगा।
- (घ) प्रावधिक प्रवेश पश्चात् अभ्यर्थी को आगामी काउंसिलिंग में समान पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।
- (ङ) यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक काउंसिलिंग हेतु उपस्थित नहीं होता है या प्रवेश के समय आवश्यक मूल प्रमाण पत्र/ अभिलेख निर्धारित प्रारूप में एवं राशि का ड्राफ्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो वह अपनी योग्यता क्रमानुसार पाठ्यक्रम/संस्था में प्रवेश का अवसर खो देगा, तथापि बाद में यदि और काउंसिलिंग होती है तो उसमें उपस्थित होने पर सीट उपलब्ध होने की स्थिति में उसे प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।
- (च) काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम एवं संस्था का चयन करने के उपरान्त जमा की गई शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी।
- (छ) अभ्यर्थी को प्रवेश के समय काउंसिलिंग समिति के समक्ष तथा महाविद्यालय में आवश्यक सभी मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।
- (ज) किसी भी श्रेणी एवं संवर्ग के अंतर्गत प्रावधिक प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर महाविद्यालय में उपस्थित न होने पर या प्रवेश लेने के उपरान्त संस्था छोड़ देने से या किसी अन्य कारण से स्थान रिक्त होते हैं तो उन रिक्त स्थानों के विरुद्ध प्रवेश, प्रावीण्यता के आधार पर आगामी काउंसिलिंग द्वारा दिया जावेगा।
- (झ) स्थानीय निवासी अभ्यर्थी अपने प्रावीण्यता के आधार पर अपनी काउंसिलिंग के समय उपलब्ध संस्था/ पाठ्यक्रम में से किसी में भी प्रवेश नहीं लेना चाहता है, तो वह लिखित में ऐसा अंकित कर सकता है। ऐसा अभ्यर्थी काउंसिलिंग के समय उपलब्ध सभी स्थानों पर अपना अधिकार खो देगा, और उसे किसी भी संस्था/ पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, परन्तु उसका नाम प्रावीण्यता के क्रम में यथावत रहेगा। ऐसे अभ्यर्थी को प्रदेश के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए संचालक द्वारा निर्धारित अंतिम काउंसिलिंग तक पुनः अवसर प्रदान किया जावेगा। इसके बाद स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची समाप्त मानी जायेगी।

इसके पश्चात प्रवेश हेतु रिक्त रह गई या रिक्त हुई सीटों में प्रावीण्यता (मेरिट) सूची के आधार पर गैर स्थानीय निवासी अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश दिया जा सकेगा। तत्पश्चात रिक्त होने वाले किसी भी स्थान पर

प्रवेश के लिये किसी भी अभ्यर्थी के आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा एवं प्रावीण्यता सूची समाप्त मानी जायेगी।

(ज) किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत महिला, सैनिक संवर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग एवं दिव्यांग संवर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी श्रेणी के बिना संवर्ग में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

(ट) यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी या उसका अधिकृत प्रतिनिधि काउंसिलिंग के लिए नियत तारीख एवं समय पर उपस्थित नहीं होता है तो वह प्रवेश के लिये अपने सभी अधिकार खो देगा।

9. **प्रवेश रद्द करना :-** यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी महाविद्यालय में झूठी/ गलत सूचना देकर, सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश महाविद्यालय प्रमुख द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरन्त, बिना किसी सूचना के, रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालक, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़, का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

10. **चिकित्सकीय उपयुक्तता :-** अभ्यर्थी की चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी। इस हेतु उन्हें सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र (Fitness Certificates) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश तभी दिया जायेगा, जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्त प्रमाणित हो जायेंगे।

11. **शुल्क :-** आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए राज्य शासन/ फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क देय होगा तथा संस्थाओं द्वारा इसमें शासन की पूर्वानुमति के बिना वृद्धि नहीं की जा सकेगी।

12. **नियमों की व्याख्या :-** प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी होगा। प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा। छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक प्रवेश नियम में संशोधन का पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।

व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा। छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक प्रवेश नियम में संशोधन का पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।

13. आयुष मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, केन्द्रिय होम्योपैथी परिषद द्वारा काउंसिलिंग तिथि, प्रक्रिया, न्यूनतम अर्हकारी, प्राप्तांक इत्यादि के संबंध में जारी किये गये आदेश, निर्देश समयावधि में प्राप्त होने पर लागू किये जायेंगे।
14. **निरसन :-** इन नियमों के प्रवृत्त होने की तिथि से “छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम 2018” निरसित माने जावेंगे तथापि उन नियमों के अन्तर्गत की गई प्रक्रिया मान्य होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, सचिव.

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

—: अधिसूचना :-

कमांक एफ 2-18/2010/नौ/55-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु "छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019" में निम्नलिखित संशोधन करता है। अर्थात्

—: संशोधन :-

उक्त नियम में,

01. नियम 2. के उपनियम (ख) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात् :-
“(ख) श्रेणी” से अभिप्रेत है, इन पांचो श्रेणियों में से कोई एक, अर्थात् ‘अनुसूचित जाति’, ‘अनुसूचित जनजाति’, ‘अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)’, ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) तथा ‘अनारक्षित’
02. नियम 2. के उपनियम (ण) के पश्चात् निम्नांकित नवीन प्रविष्टियां अंतःस्थापित किये जाए, अर्थात् :-
“(त) अखिल भारतीय कोटा” से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार द्वारा भारत के किसी भी राज्य के उम्मीदवारों से भरी जाने वाली सीटें”
03. नियम 3. के उपनियम (ख) (4) के तीसरे, चौथे एवं छठवें पंक्ति में “प्रतिशत” के स्थान पर “प्रतिशतक” प्रतिस्थापित किया जाता है।
04. नियम 4. के उपनियम 1(ख) में निजी महाविद्यालयों के पश्चात शब्द व चिन्ह “(अल्पसंख्यक संस्था को छोड़कर)” अंतःस्थापित किया जाता है।
05. नियम 4. के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात्:-
“(2) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थियों के लिए सीटों का आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी प्रचलित / नवीनतम अधिसूचना के अनुसार किया जावेगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के उम्मीदवार हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।”
06. नियम 4. के उपनियम (6) (ख) में अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के पश्चात शब्द व चिन्ह “तथा ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)” अन्तःस्थापित किया जाता है।

07. नियम 4. के उपनियम (6) के पश्चात् निम्नांकित नवीन प्रविष्टियां अंतःस्थापित किये जाए, अर्थात :-

“(7) (क) राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मान्यता प्राप्त निजी आयुष महाविद्यालयों के कुल स्वीकृत सीटों में से राज्य कोटे की सीटों का 70 प्रतिशत सीटें, प्रदेश के स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय (जिस धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय हेतु किसी महाविद्यालय को मान्यता दी गयी है) के अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु आरक्षित रहेंगी। इन सीटों पर प्रवेश अल्पसंख्यक समुदाय (जिस धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय हेतु किसी महाविद्यालय को मान्यता दी गयी है) के अभ्यर्थियों के परस्पर प्रावीण्यता सूची से की जाएगी। इन सीटों पर किसी भी स्थिति में अन्य अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। शेष 30 प्रतिशत सीटों की पूर्ति सामान्य प्रावीण्यता सूची के अभ्यर्थियों द्वारा की जायेगी। इन सीटों पर छ0ग0 शासन का आरक्षण नियम लागू नहीं होगा।

(ख) अल्पसंख्यक समुदाय हेतु आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए समुदाय विशेष के (जिस धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय हेतु किसी महाविद्यालय को मान्यता दी गयी है) अल्पसंख्यक अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ शासन के प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।”

08. नियम 7. के उपनियम (ग) में अनारक्षित के पश्चात् शब्द व चिन्ह “ई.डब्ल्यू.एस.(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)” अन्तःस्थापित किया जाता है।

09. नियम 7. के उपनियम (घ) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात:-

“(घ) प्रवेश परीक्षा की प्रावीण्यता सूची के आधार पर स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों की सामान्य प्रावीण्यता सूची, श्रेणीवार, संवर्गवार एवं अल्पसंख्यक समुदाय (जैन) तथा गैर स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता सूची अधिकृत संस्था द्वारा तैयार की जावेगी।”

10. नियम 8. (1) में राज्य कोटे की सभी सीटों के पश्चात् शब्द व चिन्ह “(अल्पसंख्यक संस्थाओं के सीटों को छोड़कर)” अंतः स्थापित किया जाता है।

11. नियम 8. के उपनियम (4) 07. के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात:-

“07. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु स्थायी जाति प्रमाण पत्र सहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विगत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। माता का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में पिता का कोई आय नहीं होने अथवा पिता के जीवित नहीं होने अथवा पिता के साथ नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।”

12. नियम 8. के उपनियम (4)10. के पश्चात् निम्नांकित नवीन प्रविष्टियां अंतःस्थापित किये जाए, अर्थात :-

“11. ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) उम्मीदवार हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र।

12. अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र (नियम 4(7)(ख) के अनुसार)”

13. नियम 8. के उपनियम (11) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

- (क) अनारक्षित श्रेणी
- (ख) ई.डब्ल्यू.एस
- (ग) अनुसूचित जनजाति
- (घ) अनुसूचित जाति
- (ङ) अन्य पिछड़ा वर्ग
- (च) अल्पसंख्यक समुदाय

14. नियम 8. के उपनियम (15) के पश्चात् निम्नांकित नवीन प्रविष्टियां अंतःस्थापित किये जाए, अर्थात् :-

“(16) काउंसिलिंग की व्यवस्था हेतु निजी आयुष महाविद्यालयों को प्रवेश क्षमता के अनुरूप प्रति छात्र/ छात्रा के मान से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क काउंसिलिंग आयोजित करने वाली संस्था में जमा करना होगा, इस हेतु निजी आयुष महाविद्यालयों द्वारा छात्र/छात्राओं से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रेणु जी पिल्ले)

अपर मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग



HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Order Sheet

WPC No. 2678 of 2021

Mahaveer College of Ayurvedic Sciences **Versus** State of Chhattisgarh & Ors.

30/09/2021	<p>Shri Prafull N. Bharat, Senior Advocate with Shri Akash Pandey Counsel for the Petitioner.</p> <p>Shri Chandresh Shrivastava, Dy. A.G. for the State.</p> <p>Post this petition for final hearing in the week commencing 15th November, 2021.</p> <p>The Hon'ble Supreme Court in the matter of In Re: The Kerala Education Bill, 1957. Reference Under Article 143(1) of the Constitution of India reported in AIR (1958) SC 956 and Index Medical College, Hospital and Research Centre V. State of Madhya Pradesh and others reported in AIR (2021) SC 3090: AIR Online (2021) SC 150, in paras 23, 24 & 25 has held as under:-</p> <p>“23. The professed object of the amendment to the Rules by Insertion of Rule 12(8)(a) is to ensure that admission to medical institutions are made strictly in accordance to merit as the Government noticed that lesser meritorious candidates were getting better colleges/subjects. Therefore, seats that fall vacant due to non-joining or resignation of students who were allotted seats in mop-up round of counselling will not be included in the college level counselling. The result is such seats will remain unfilled.</p> <p>24. There is no doubt that the object with which Rule 12(8)(a) is made is appropriate as malpractice by students in the admission process should be curtailed. Rule 12(7)(c) provides that students who do not take admission after issuance of an allotment letter will not be entitled to seek refund of the advance admission fee of Rs. 2 lakhs which would stand forfeited automatically. According to Rule 12 (8)(b), those students who do not join after being allotted a seat though mop-up round will automatically be declared ineligible for the next round of counselling.</p>	



They will not be entitled for admission to any other medical/dental colleges. Suitable steps are taken to prevent such students from participating in the next round of counselling, forfeiting the advance admission fee and making them ineligible for admission in any medical college. However, the medical colleges who have no part to play in the manipulation as detailed above are penalised by not being permitted to fill up all the seats. The measure taken by the Government of proscribing the managements from filling up those seats that fall vacant due to non-joining of the candidates in mop-up round is an excessive and unreasonable restriction.

25. The right to admit students which is a part of the management's right to occupation Under Article 19(1)(g) of the Constitution of India stands defeated by Rule 12(8)(a) as it prevents them from filling up all the seats in medical courses. Upgradation and selection of subject of study is pertinent only to postgraduate medical course. In so far as undergraduate medical course is concerned, the upgradation is restricted only to a better college. Not filling up all the medical seats is not a solution to the problem. Moreover, seats being kept vacant results in huge financial loss to the management of the educational institutions apart from being a national waste of resources. Interest of the general public is not subserved by seats being kept vacant. On the other hand, seats in recognised medical colleges not being filled up is detrimental to public interest.

We are constrained to observe that the policy of not permitting the managements from filling up all the seats does not have any nexus with the object sought to be achieved by Rule 12(8)(a). The classification of seats remaining vacant due to non-joining may be based on intelligible differentia but it does not have any rational connection with the object sought to be achieved by Rule 12(8)(a). Applying the test of proportionality, we are of the opinion that the restriction imposed by the rule is unreasonable. Ergo, Rule 12(8)(a) is violative of Articles 14 and 19(1)(g) of the Constitution."

Therefore, considering the issue at hand, we are inclined to grant interim relief to the petitioner on the ground that if seats, out of 70% seats reserved for the minority candidates which has established the institution, remains vacant and the petitioner/college is not allowed to fill up those seats, it would create unreasonable restriction and seats would be wasted, as held by Hon'ble Supreme Court in the matter of **Index Medical College**



(supra).

Consequently, we direct that out of 70% seats allotted to the management of the petitioner/institution in the subject college, after filling up seats from the minority candidates, if any seat remains vacant, the petitioner shall be allowed to fill up those seats as per rules despite the restriction contained in the subject impugned amendment in Sub-rule 7(a) of Rule 4 of Chhattisgarh Ayush Snatak Pathyakram Pravesh Niyam, 2019.

Sd/-
(Prashant Kumar Mishra)
Acting Chief Justice

Sd/-
(Rajani Dubey)
Judge



Ruchi